



# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

0/1

क्रमांक :- परीक्षा-1 / सैल-7 / म.गा.स.वि.परीक्षा / 2023 / 106090

दिनांक

18 JAN 2024

प्रेषित :- केन्द्र क्रमांक -  
केन्द्राधीक्षक

विषय :- महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा, 2023 हेतु केन्द्राधीक्षकों के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय,

महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा-2023 रविवार, दिनांक 28 जनवरी, 2024 को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों एवं नजदीकी शहरी क्षेत्र पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों (ग्रुप-1), कक्षा 9 से 12 अध्ययनरत विद्यार्थियों (ग्रुप-2) एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों (ग्रुप-3) हेतु पृथक-पृथक प्रश्न पत्रों के आधार पर आयोजित की जायेगी। ग्रुप 1 का प्रश्नपत्र 50 अंकों का तथा ग्रुप 2 व 3 का प्रश्न पत्र 100 अंकों का एवं परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी। प्रश्न-पत्र कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का होगा। परीक्षा के प्रश्न पत्र द्विभाषी अर्थात् (हिन्दी व अंग्रेजी) दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराये जाएंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों की अनुशंशानुसार बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु आपके विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, तदनुसार इस परीक्षा के सफल आयोजन के सम्बन्ध में निम्नांकित परीक्षा संबंधी विशेष निर्देश को ध्यान में रखते हुए आपके द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी है :-

## 01. परीक्षा तिथि समय सारिणी :-

परीक्षा तिथि

केन्द्र पर पहुंचने का समय

:- रविवार, 28 जनवरी, 2024

:- दोपहर 01.00 बजे।

:- दोपहर 02.00 बजे से 03.30 बजे (90 मिनट)

:- GROUP-1

:- GROUP-2

:- GROUP-3

कक्षा 06 से 8 में अध्ययनरत छात्र  
कक्षा 09 से 12 में अध्ययनरत छात्र  
महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र

नोट :- विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों (CWSN) को बोर्ड नियमानुसार 20 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा।

## 02. प्रवेश पत्र :-

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा इस परीक्षा से संबंधित ऑनलाईन प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाईट [www.rajeduboard.rajasthan.gov.in](http://www.rajeduboard.rajasthan.gov.in) पर अपलोड किये जायेंगे। प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी का नाम, नामांक, आवक्ष चित्र, केन्द्र कोड, केन्द्र का नाम मुद्रित होगा। परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रवेश पत्र संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित होगा, जिसके अनुरूप ही परीक्षार्थी आपके केन्द्र पर परीक्षा देने हेतु उपस्थित होगा। आपके केन्द्र पर पंजीकृत परीक्षार्थियों को ही परीक्षा में प्रविष्ट कराया जाना सुनिश्चित करें।

## 03. केन्द्र सामग्री यथा नॉमिनल रोल एवं उपस्थिति पत्रक डाउनलोड पश्चात मुद्रित करना :-

सर्वोदय विचार परीक्षा हेतु केन्द्र सामग्री प्रेषित नहीं की जायेगी। केन्द्र सामग्री यथा उपस्थिति पत्रक, बैठक व्यवस्था हेतु नामांकों की नॉमिनल रोल ऑनलाईन अपलोड की जाएगी तथा केन्द्राधीक्षक जिनकी शाला को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है, वे सम्पूर्ण सामग्री मुख्य परीक्षा की भाँति डाउनलोड पश्चात मुद्रित कर परीक्षा आयोजन की कार्यवाही करेंगे।

## 04. केन्द्राधीक्षकों के लिये परीक्षा के पूर्व किये जाने वाले आवश्यक कार्य एवं दिशा-निर्देश :-

01. राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की अनुपालना में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करावे।

02. जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रश्न पत्र ~~भूम्प~~ओ.एम.आर शीट के पैकेट आपके परीक्षा केन्द्र से ही संबंधित होना सुनिश्चित करें।

03. परीक्षार्थी को संस्था प्रधान से प्रमाणित प्रवेश पत्र दिखाने पर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेशाज्ञा दी जाये।

04. बोर्ड द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्न पत्रों को निकटतम पुलिस थाने में अनिवार्यतः रखे। उत्तर पत्रकों (OMR) की सुरक्षा एवं गोपनीयता का भी पूर्ण ध्यान रखें।

05. परीक्षा केन्द्र पर सफाई, पेयजल, शौचालय (छात्र/छात्राओं हेतु पृथक-पृथक) की व्यवस्थाएँ करें।

06. दिव्यांग (CWSN) परीक्षार्थियों को आवश्यकतानुसार परीक्षा कक्ष तक आसानी से पहुँच सकें, इस बाबत रैम्प आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें।

07. परीक्षा कक्ष में श्याम पट्ट पर बैठक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का लेखन नहीं हों।

8. परीक्षा से पूर्व वीक्षकों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश से लेकर पैकेट बनाने की प्रक्रिया तक के कार्यों की जानकारी एवं उनकी पालना सुनिश्चित करें।
9. यदि किसी वीक्षक का कोई सम्बन्धी/रिश्तेदार आपके केन्द्र पर परीक्षा दे रहा है तो उनकी परीक्षा केन्द्र पर डियूटी नहीं लगाई जावे। इस बाबत सभी वीक्षकों से घोषणा पत्र प्राप्त करें कि उनका कोई निकट संबंधी/रिश्तेदार इस केन्द्र पर प्रविष्ट नहीं हो रहा है।
10. परीक्षा केन्द्र पर मुख्य परीक्षा की भाँति मोबाइल का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
105. O.M.R. शीट भरने के संदर्भ में वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थियों को दिये जाने वाले आवश्यक दिशा-निर्देश :-
- उत्तर पत्रक (ओ.एम.आर. शीट) के प्रत्येक चौखाने □ में नीले/काले बाल पेन से लिखना है। प्रत्येक ○ गोले को नीले/काले बाल पेन से गहरा करना है। चौखाने □ में लिखने में केवल CAPITAL LETTERS या अंकों का ही प्रयोग करें। प्रत्येक चौखाने के नीचे उसी से संबंधित अक्षर या अंक वाले ○ गोले को ही नीले/काले बाल पेन से गहरा करें।
- उत्तर पत्रक (ओ.एम.आर.शीट) में सही विकल्प को गहरा नहीं करने की रिस्ति में रक्फैनर द्वारा नहीं पढ़े जा सकने पर परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। एक से अधिक गोला भरने पर उत्तर अमान्य होगा। उत्तर इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिये अंक नहीं काटे जायेंगे अर्थात् Negative Marking नहीं होगी। उत्तर पत्रक (ओ.एम.आर.शीट) को मोड़ना/फाड़ना नहीं है तथा पिन का इस्तेमाल भी नहीं करना है।
- पत्रक (ओ.एम.आर.शीट) को मोड़ना/फाड़ना नहीं है तथा पिन का इस्तेमाल भी नहीं करना है। पत्रक वीक्षकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित करावें कि वे परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों को OMR शीट में सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक भरने हेतु निर्देशित करें।
06. इस वर्ष परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र A, B, C, D सीरीज कोड में निर्माण/मुद्रित कराए गये हैं। अतः परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र इस प्रकार वितरित किये जाए जिसमें एक ही सीरीज के परीक्षार्थी पास-पास नहीं बैठे। परीक्षा कक्ष की क्षमता अनुसार परीक्षार्थियों की बैठक व्यवस्था यथा सम्पव 4 के गुणक में की जाए जिससे प्रश्न पत्र वितरण में असुविधा न हो।
07. प्रत्येक ग्रुप की परीक्षा के लिए भिन्न-भिन्न रंग के प्रश्न पत्र बॉक्स भिजवाए गए हैं। केन्द्राधीक्षक बॉक्स पर अंकित ग्रुप का सावधानीपूर्वक अवलोकन कर प्रश्न पत्र बावर्स को खोलें।
08. केन्द्राधीक्षक/अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक के परीक्षा दिवस को करणीय कार्य :-
01. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनिट पूर्व परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान करें। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल, पेजर, केलकूलेटर इत्यादि) ले जाने की अनुमति नहीं दी जावें।
  02. नियत समय पर ही वीक्षकों को परीक्षा सामग्री सहित परीक्षा कक्षों में पहुँचने हेतु निर्देशित करें।
  03. परीक्षा प्रारम्भ होने के 10 मिनिट पूर्व पत्रों के पैकेट दो वीक्षकों के सामने खोलें जाये एवं बैठक व्यवस्थानुसार परीक्षा आरम्भ होने के 05 मिनिट पूर्व परीक्षा कक्ष में पहुँचाना सुनिश्चित करें।
  04. उक्त परीक्षा तीन ग्रुप में विभाजित है (विद्यालय स्तर, कक्षा 06 से 8 ग्रुप-1), विद्यालय स्तर, कक्षा 09 से 12 ग्रुप-2), महाविद्यालय रत्तर, ग्रुप-3) तीनों ग्रुप के प्रश्न पत्र एवं ओ.एम.आर. शीट पृथक-पृथक ग्रुप 12 ग्रुप-2), महाविद्यालय रत्तर, ग्रुप-3) तीनों ग्रुप के प्रश्न पत्र एवं ओ.एम.आर. शीट वितरित करना अनुसार है। संबंधित परीक्षार्थियों को संबंधित ग्रुप का ही प्रश्न पत्र एवं ओ.एम.आर. शीट वितरित करना सुनिश्चित करें।
  05. परीक्षा समय सारणी अनुसार निर्धारित समय पर प्रारम्भ की जावें।
  06. परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट बाद परीक्षार्थी को परीक्षा में प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं देवें।
  07. परीक्षा कार्य से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण सूचनायें, OMR Sheets एवं प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखें।
  08. अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक यह सुनिश्चित करें कि उपरिथित पत्रक पर परीक्षार्थियों ने अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं वीक्षकों ने यथारथान भी हस्ताक्षर किये हैं।
  09. वीक्षक यह सुनिश्चित करें कि OMR शीट पर अंकित परीक्षार्थी का नाम, रोल नम्बर, परीक्षा दिनांक, तथा हस्ताक्षर सहित अन्य विवरण अनिवार्य रूप से एवं पूर्णतया सही भरे गये हैं।
  10. वीक्षक उपरिथित पत्रक में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर अनिवार्यतः करावें तथा अनुपरिथित परीक्षार्थियों के नामांक को अंकित करते हुए उनके सम्मुख ABSENT भी अंकित करें तथा उपरिथित एवं अनुपरिथित परीक्षार्थियों के नामांकों की समग्र रूप से पृथक-पृथक सूची तैयार कर प्रमाणीकरण पश्चात परीक्षा उपरान्त USED OMR के पैकेट में अवश्य रखें एवं एक प्रति बोर्ड को भी अनिवार्यतः भिजवाएं।
  11. केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षकों का यह सामूहिक दायित्व होगा कि वे प्रवेश पत्र से परीक्षार्थी की पहचान सुनिश्चित कर लें ताकि कोई अनाधिकृत छात्र/छात्रा परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके।
  12. वीक्षक यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा कक्ष में कोई भी परीक्षार्थी नकल नहीं करें एवं अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं कर सके।
  13. बिना उपयोग में लाये गये प्रश्न पत्रों को विद्यालय के पुस्तकालय में ही सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखा जाना है। इन्हें बोर्ड कार्यालय नहीं भेजें।
  14. परीक्षा समाप्ति के पश्चात् प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र तथा ओ.एम.आर. शीट की केवल कार्बन प्रति परीक्षार्थियों को साथ ले जाने की अनुमति दें।

15. परीक्षार्थियों के प्रत्येक ग्रुप अनुसार उपरिथित पत्रक, अनुपरिथित पत्रक तथा मूल ओ.एम.आर. शीट पृथक पृथक लिफाफे में बोर्ड को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

09. परीक्षा समाप्ति पश्चात् करणीय कार्य :-  
केन्द्राधीक्षक द्वारा परीक्षा समाप्ति के तुरन्त बाद विभिन्न सामग्री के निम्नानुसार बंडल एवं पैकिट बनावें तथा इन सभी पैकेटों को सीलबन्द कर परीक्षा समाप्ति पश्चात् वाहक के साथ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय कार्यालय को भेज कर जमा करावें।

(अ) उत्तर पत्रक (O.M.R. शीट) - को सील करने की प्रक्रिया :-

01. ग्रुप अनुसार उपयोग में ली गई (used) OMR शीट नामांकवार आरोही क्रम में व्यवस्थित कर भिजवावें।

02. OMR शीट के नीचे एवं ऊपर आधा इंच बड़े गत्ते को रखे एवं OMR शीट को धारे से बांधकर भिजवावें ताकि यह क्षतिग्रस्त नहीं हो।

03. इसके पश्चात् OMR शीट को अख्यार के कागज में अच्छी तरह बांध दें।

04. प्रत्येक ग्रुप की पृथक-पृथक उपरिथित पत्रक लिफाफे में बंद कर भिजवावें।

05. प्रत्येक ग्रुप की पृथक-पृथक अनुपरिथित पत्रक लिफाफे में बंद कर भिजवावें।

06. OMR शीट को क्लॉथ लिफाफे में रखकर उसे चिपकावें तत्पश्चात् उसको सील चपड़ी कर दें।

07. लिफाफे पर परीक्षा सम्बन्धी लेबल चरणा कर दें।

08. शेष अप्रयुक्त OMR पृथक से लिफाफे में रखकर उस पर "अप्रयुक्त OMR" अंकित कर भिजवाए।

(ब) पैकेटों पर चिपकाने वाले लेबल :-

महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा-2023

विद्यालय स्तर कक्षा 06 से 8 ग्रुप-1

परीक्षा केन्द्र का नाम ..... आवंटित केन्द्र कोड .....  
उपरिथित परीक्षार्थी संख्या ..... अनुपरिथित परीक्षार्थी संख्या ..... कुल छात्र संख्या .....  
कुल ओ.एम.आर (OMR) की संख्या .....

महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा-2023

विद्यालय स्तर कक्षा 09 से 12 ग्रुप-2

परीक्षा केन्द्र का नाम ..... आवंटित केन्द्र कोड .....  
उपरिथित परीक्षार्थी संख्या ..... अनुपरिथित परीक्षार्थी संख्या ..... कुल छात्र संख्या .....  
कुल ओ.एम.आर (OMR) की संख्या .....

महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा-2023

(महाविद्यालय स्तर ग्रुप-3)

परीक्षा केन्द्र का नाम ..... आवंटित केन्द्र कोड .....  
उपरिथित परीक्षार्थी संख्या ..... अनुपरिथित परीक्षार्थी संख्या ..... कुल छात्र संख्या .....  
कुल ओ.एम.आर (OMR) की संख्या .....

(स) शेष अन्य कार्य :-

नीचे वर्णित समस्त पत्रकों की पूर्ति कराकर परीक्षा समाप्ति के पश्चात भिजवाया जाना सुनिश्चित करें :-

01. ग्रुप-1 की उपयोग में ली गई (used) OMR शीट पैकेट
02. ग्रुप-2 की उपयोग में ली गई (used) OMR शीट पैकेट
03. ग्रुप-3 की उपयोग में ली गई (used) OMR शीट पैकेट
04. ग्रुप-1, ग्रुप-2 व ग्रुप-3 की शेष रिक्त (unused) OMR शीट का एक पैकेट
05. ग्रुप-1 की उपरिथिति (PRESENT) पत्रक का लिफाफा
06. ग्रुप-2 की उपरिथिति (PRESENT) पत्रक का लिफाफा
07. ग्रुप-3 की उपरिथिति (PRESENT) पत्रक का लिफाफा
08. ग्रुप-1 अनुपरिथिति (ABSENT) पत्रक का लिफाफा
09. ग्रुप-2 अनुपरिथिति (ABSENT) पत्रक का लिफाफा
10. ग्रुप-3 अनुपरिथिति (ABSENT) पत्रक का लिफाफा
11. केन्द्राधीक्षक एवं अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक का समग्र प्रतिवेदन।
12. वीक्षक ड्यूटी चार्ट एवं अन्य प्रपत्र।
13. CWSN (दिव्यांगता) प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियाँ पृथक से लिफाफे (जिस पर मोटे अक्षरों में CWSN लिखा हो) में रखकर बोर्ड कार्यालय को प्रेषित करें।

विशेष :-

सभी केन्द्राधीक्षक परीक्षा उपरान्त बिन्दु संख्या 09 (अ), (ब) एवं (स) से संबंधित सामग्री ग्रुप वार पृथक पृथक संबंधित लिफाफे में रखकर उपरोक्त समस्त सामग्री अपने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय कार्यालय में परीक्षा दिवस को ही जमा कराने की कार्यवाही गोपनीयता के साथ सुनिश्चित करावें।

उप निदेशक (परीक्षा)  
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज.  
अजगेर

०/८  
२३८५  
१८/१/२५

३२८८  
१८/१ डिसेम्बर

महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2023  
अनुपस्थित (ABSENT) परीक्षार्थियों का सूचना प्रपत्र (समेकित)

परीक्षा दिनांक 28.01.2024

केन्द्र क्रमांक :

केन्द्र का नाम :

विद्यालय रत्तर कक्षा 06 से 8 (ग्रुप-1) —

विद्यालय स्तर कक्षा 09 से 12 (ग्रुप-2) —

महाविद्यालय स्तर (ग्रुप-3) — 0

क्र.सं.	अनुपस्थित (ABSENT) परीक्षार्थी	नाम	ग्रुप -1			ग्रुप -2				ग्रुप-3 कॉलेज रत्तर
			06 <sup>TH</sup>	07 <sup>TH</sup>	08 <sup>TH</sup>	09 <sup>TH</sup>	10 <sup>TH</sup>	11 <sup>TH</sup>	12 <sup>TH</sup>	
01										
02										
03										
04										
05										
06										
07										
08										
09										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

परीक्षा समाप्ति के तुरन्त पश्चात् प्रत्येक वर्ग के उपस्थित एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या E-

परीक्षा समाप्ति के तुरन्त पश्चात् प्रत्येक वर्ग के उपस्थित एवं अनुपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या E-

MAIL ADDRESS : bser.sarvodaya@gmail.com पर तुरन्त प्रेषित करें।

हस्ताक्षर  
केन्द्राधीक्षक मय मोहर  
मो.नं. ....





# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : परीक्षा-1 / सैल-7 / म.गा.सि.परीक्षा / 2023 **106089**

दिनांक.....

**18 JAN 2024**

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय  
कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय  
राजस्थान

विषय :- महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2023 परीक्षा सामग्री संग्रहण एवं बोर्ड को  
भिजवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2023 का आयोजन रविवार, दिनांक 28 जनवरी, 2024 को अपराह्न 2.00 बजे से 3.30 बजे तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर होना है।

01. दिनांक 28 जनवरी, 2024 को परीक्षा आयोजन के पश्चात आपके निर्देशन में समस्त परीक्षा केन्द्रों की ओ.एम.आर. शीट, उपस्थिति प्रपत्र एवं अन्य सामग्री जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय कार्यालय पर संग्रहित की जानी है।
02. प्रत्येक केन्द्र की सामग्री एक साथ रखे ताकि प्रतिनिधि को सुपुर्द करने में सुविधा रहे। केन्द्र अनुसार संग्रहित की जाने वाली सामग्री निम्नानुसार है :-

01. ग्रुप-1 की उपयोग में ली गई (used) OMR शीट पैकेट
02. ग्रुप-2 की उपयोग में ली गई (used) OMR शीट पैकेट
03. ग्रुप-3 की उपयोग में ली गई (used) OMR शीट पैकेट
04. ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2 की शेष रिक्त (unused) OMR शीट का एक पैकेट
05. ग्रुप-1 की उपस्थिति (PRESENT) पत्रक का लिफाफा
06. ग्रुप-2 की उपस्थिति (PRESENT) पत्रक का लिफाफा
07. ग्रुप-3 की उपस्थिति (PRESENT) पत्रक का लिफाफा
08. ग्रुप-1 अनुपस्थिति (ABSENT) पत्रक का लिफाफा
09. ग्रुप-2 अनुपस्थिति (ABSENT) पत्रक का लिफाफा
10. ग्रुप-3 अनुपस्थिति (ABSENT) पत्रक का लिफाफा
11. अनुपस्थित (ABSENT) परीक्षार्थियों का केन्द्रवार समेकित प्रपत्र।
12. केन्द्राधीक्षक एवं अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक का समग्र प्रतिवेदन।
13. वीक्षक ड्यूटी चार्ट, केन्द्र का निरीक्षण प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्र।

03. सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय) का प्रतिनिधि समस्त सामग्री संग्रहण उपरान्त उक्त सामग्री रोडवेज बस द्वारा सुरक्षा पूर्वक दिनांक 28 जनवरी, 2024 (देर रात्रि तक) को ही बोर्ड कार्यालय की गोपनीय शाखा में जमा करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। इन्हे नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा।

भवदीय,

उप निदशक  
(परीक्षा-प्रथम)